

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(स्थापना-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 जून, 2017,

**// आदेश //**

वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में विभागीय प्रोन्नति कोटा की चयन वर्ष 2014-15 की 02 रिक्तियों पर श्री लेखराज सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-1065) एवं श्री श्याम नारायण त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक-1076) को उनके कनिष्ठ कार्मिकों की वाणिज्य कर अधिकारी की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने तथा चयन वर्ष 2015-16 की 02 रिक्तियों पर श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-1481) व श्री जय प्रकाश पाण्डेय (ज्येष्ठता क्रमांक-1704) को उनके कनिष्ठ कार्मिकों की वाणिज्य कर अधिकारी की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-177(11)/11/पी/एस-5/2015-16 दिनांक 27-06-2017 द्वारा उक्त कार्मिकों में से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा प्रेषित उक्त संस्तुति के क्रम में निम्न चयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 Rs. 9300-34800 +ग्रेड पे Rs. 4800) (दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स लेबल-8 (रु 47600-151100) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-


क्र० सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	तिथि जिससे वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।
1	2	3	4
1	1065	श्री लेखराज सिंह	31-08-2016
2	1480	श्री सुभाष चन्द्र मिश्र	31-08-2016
3	1704	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	31-08-2016

2-(क)- उक्त तीनों कार्मिकों को "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति की अवधि के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त तीनों अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में निर्धारित की जायेगी।

(ग) उक्त नव पदोन्नत वाणिज्यकर अधिकारियों को संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) मुख्यालय / डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि0कमि0 (प्रशासन) वाणिज्य कर, अपने अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती स्थान पर इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करे कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

- (घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह वाणिज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण, वाणिज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने की किसी भी प्रार्थना को माना जायेगा। अतः जिस अधिकारी को लगता है कि वह अपनी जटिल पारिवारिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के कारण इस आधार भूत व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकता है, वह पदोन्नति फोरगो (Forgo) कर सकता है। भविष्य में इस प्रशिक्षण में भाग न लेने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार प्रत्यावर्तित करने के अतिरिक्त अन्य अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- (ङ) उक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।
- (च) उक्त सभी पदोन्नतियाँ रिट या0स0 61917/ 2008 बाबू खॉ बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 10665 / 2006 एवं रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोशियेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।
- (छ) समस्त सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/ वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/ अपील/ उच्च न्यायालय कार्य / ज्वाइंट कमिश्नर मुख्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को पदोन्नत के उक्त पद पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा जो कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हो उनसे पदोन्नति फोरगो का प्रार्थना पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



( मुकेश कुमार मिश्रा )

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आयोग के संख्या-177(11)/11/पी/एस-5/2015-16 दिनांक 27-06-2017 के सन्दर्भ में दो प्रतियाँ।
- 2- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 5- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि वे नव पदोन्नत उक्त वाणिज्य कर अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना आन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से तथा हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 05-07-2017 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में अपने जोन के समस्त नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों में से जो अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हों उनसे पदोन्नत फोरगो संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को अवगत करायेगे।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त एडी० कमि० ग्रेड-2, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त मुख्य कोषधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि पदोन्नति कार्मिकों में से अपने अनुभाग में कार्यरत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण पत्र स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 12- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 13- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०/प्रवर्तन/अपील/ उच्च न्यायालय कार्य) उत्तर प्रदेश
- 14- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०/वि०अनु०शा०/प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 15- संबंधित कर्मचारियों को नाम से।
- 16- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रोन्नति आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत आदेश की एक प्रति तत्काल विभागीय वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 17- मैनु अल अनुभाग, मुख्यालय।
- 18- कम्प्यूटर आपरेटर (स्थापना राजपत्रित कक्ष) मुख्यालय लखनऊ।
- 19- स्था०-2, पटल को 150 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 20- चरित्र पंजिका पटल को दो प्रतियाँ।

28.6.2017

( सुनील कुमार राय )  
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,  
प्रभार-ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

